

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 99/2026

विवेक सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं 9 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अमन कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमन कुमार श्रीवास्तव, विरोधी पक्षकार संख्या 5, 6 और 7 (उत्तर-पूर्वी रेलवे) के पक्ष से उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री वरुण पांडेय, और राज्य के पक्ष से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा को सुना और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
- जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- दौलतपुर भीरा, तहसील- पलिया, जिला- खेरी में स्थित, रेलवे भूमि के रूप में दर्ज गाटा संख्या 330 क्षेत्रफल 22.6380 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
- तहसीलदार, पलिया, खेरी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि भूमि की पहचान और सीमांकन तथा अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. तदनुसार, याचिका का निस्तारण विरोधी पक्षकार संख्या 3 से 7 को यह निर्देश जारी करते हुए किया जाता है कि वे उपरोक्त सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

6 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.